न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 146 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.किशनाराम पुत्र श्री लुम्बाराम 02.भीकाराम पुत्र श्री वीरमाराम 03.चैनाराम पुत्र श्री हुकमाराम 04.करणाराम पुत्र श्री कारबराम 05.बाबूलाल पुत्र श्री गोलाराम 06.कोजाराम पुत्र श्री धन्नाराम 07.जोगाराम पुत्र श्री बुद्धाराम 08.मांगीलाल पुत्र श्री चीमनाराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम जांगुवास भाचरणा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.बशीलाल पुत्र प्रभुराम 02.सायरराम पुत्र प्रभुराम 03.सुराराम पुत्र प्रभुराम 04.पदमाराम पुत्र प्रभुराम 05.देवाराम पुत्र गोकाराम 06.शाति पुत्री गोकाराम 07.धुडी पत्नी गोकाराम जातियान मेगवाल निवासीगण ग्राम रोहिचा कला तहसील लूणी जिला जोधपुर 08.तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजपति ।

02.अप्रार्थी की ओर से अधिवत्ता श्री प्रेम कुमार देवडा ।

आदेश

दिनांक :– 06/06/2022

पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गयी । पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम जागुवास तहसील लूणी मे प्रार्थीगण की सह खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 417 / 151, 188, 192, 149 व 157 मे आई हुई है प्रार्थीगण के खसरान की भूमि मे स वर्तमान समय मे सभी खेतो मे से किनारे –किनारे रास्ता चला आ रहा है जो रास्ता आगे चलकर अप्रार्थीगण के खेत खसरा सख्या 361 व 361 / 1 ग्राम रोहिचा कला तहसील लूणी जिला जोधपुर मे से होकर ग्राम धुन्धाडा से फीच की ओर जाने वाली डामर सडक मे मिलता है। जो कि खसरा सख्या 361 / 1 जो कि अप्रार्थीगण का खेत है जिसके दूसरी तरफ जागूवास का खसरा सख्या 148 आया हुआ है खसरा सख्या 148 तक राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज सुदा है लेकिन खसरा सख्या 148 के बाद खसरा सख्या 361 / 1 मे से धुन्धाडा सडक पर चढने हेतु रास्ता रेकार्ड मे दर्ज नही है। जबकि मौके पर रास्ता वक्त सेटलमैट से चला आ रहा है। जो कि खसरा नम्बर 148 तक चला रहे रास्ते को सभी प्रार्थीगण द्वारा उपयोग किया जा रहा है तथा अन्य ग्रामवासियो व सरकारी स्कूल तक पहुचे का एकमात्र रास्ता है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 361 / 1 मे से धुन्धाडा सडक तक पहुंचाने का रास्ता बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासियो का सडक पर पहुचॉने मे दिक्कतो का सामना करना पड रहा है प्रार्थीगण के आने जाने का रास्ता बन्द हो गया है। बंद किये गये रास्ते का नजरी नक्शा प्रस्तुत है तथा उसी अनुसार प्रार्थना पत्र मे रास्ते की मॉग की जा रही है प्रार्थीगण द्वारा काफी प्रयास किये जाने क बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता नही खोला जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण के घरो तक आने–जाने का रास्ता व आवागमन बन्द हो गया है एकमात्र रास्ता होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र बाबत रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेत मे से नजरी नक्शे के अनुसार ए से बी स्थान पर 30 फुट के रास्ते की मांग कर रहे है जिसके लिये नियमानुसार शुल्क जमा करवाने हेतु तैयार है कि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

विवादग्रस्त भूमि व रास्ता ग्राम रोहिचा कला व जागूवास तहसील लूणी मे होने के कारण माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र को सुनकर निस्तारण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है ।

मूल प्रार्थना पत्र पक्षकारान् की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा खसरा सख्या 417/151, 188, 192, 149 157 ग्राम जांगूवास की भूमि बाबत रास्ते की मॉग की गई है जिसके लिए ग्राम रोहिचा के खसरा सख्या 361 व 361/1 जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे नवीन रास्ते की मॉग की है। जबकि शेष भू भाग रास्ते के रूप मे दर्ज है मात्र अप्रार्थी की भूमि मे ही रास्ता नही होने से अर्थ हीन हो जाता है तथा यही एकमात्र निकटतम व लधूतम रास्ता है। इस बाबत प्रार्थी की ओर से जमाबंदी पेश की गई एव बहस मे निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट मे भी उक्त बबात स्पष्ट हवाला है तथा प्रार्थी रास्ते मे दर्ज किए जाने वाले भू भाग कस शुल्क अदा करने को तैयार है साथ ही तहसील लूणी द्वारा प्रस्तुत जबाव मे भी नवीन रास्ता की अनुशंषा की गई है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

अप्रार्थीगण की ओर से बहस मे निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने मनगढत आधारहीन तथ्यो पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी ने खसरा सख्या 148 जो प्रार्थीगण का भाई का खेत है जिसमे से रास्ते मे से प्रार्थी बाध्य नही है तथा खसरा सख्या 148 मे से रास्ता निकालने का विकल्प चुना गया तथा 361 व 361/1 मे से कोई रास्ता नही होने का कथन किया।

पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया एव पत्रावली का अवलोकन किया गया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए मे नवीन रास्ते बाबत एवं विधमान मार्ग को चौडा एव विस्तारीत करने के स्पष्ट प्रावधान अंकित है तहसीलदार लूणी प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2022 के साथ सलग्न नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे रास्ता नही है बल्कि दोनो तरफ कटाणी रास्ता मौके पर भी मौजूद होने एवं रिपोर्ट मे भी दर्ज होने का स्पष्ट उल्लेख है तथा सामान्य बुद्धि से भी रास्ता के आगे निकल होना आवश्यक है प्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट अंकित किया कि केवल अप्रार्थी की भूमि मे से ही कटाण दर्ज नही है तथा दोनो तरफ रास्ता मौजुद है जिसके अभाव मे आमजन को दुविधा होती है। मौका रिपोर्ट भी इस बिन्दु पर स्पष्ट स्थिति प्रगट करती है तथा उक्त धारा मे रास्ता विस्तारीत करने के प्रावधान है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बाबत कोई कथन नही किया है जहॉ तक खसरा सख्या 148 की भूमि मे से रास्ते होने का बिन्दु अप्रार्थी द्वारा उठाया गया है इस बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज या सबूत पेश नही किए और न ही मौका रिपोर्ट मे इसका कोई प्रथम दृष्टया प्रगट करना हो रहा है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्राथीगण द्वारा वांछित नवीन रास्ते की मांग स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार लुणी को आदेश दिए जाते है कि तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

दिनांक 15.03.2022 मे उल्लेखित रास्ता जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि मे से दर्शाया है जिसे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करे तथा उक्त रास्ते की भूमि के प्रतिफल के पेटे कृषि भूमि की डीएलसी दर से तहसीलदार लूणी गणना कर प्रार्थीगण को उपलब्ध करवायें तथा उक्त राशि प्रार्थीगण तहसीलदार लूणी के समक्ष चैक अथवा डीडी प्रार्थीगण के हिस्सो अनुसार बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें । उक्त राशि तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करने पर तहसीलदार लूणी राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अमल दरामद करें तथा मौके पर जाकर रास्ता खुलवाया जावें । मौका फर्द दिनांक 15.03.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी